मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

MUMBAI PORT TRUST

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश यात्रा सुविधा) विनियम, 1975

MUMBAI PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) REGULATIONS, 1975.

(30 जून 1982 तक यथासंशोधित)

(REVISED UPTO THE 30TH JUNE 1982).

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी [अवकाश यात्रा सुविधा] विनियम, 1975.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
‡अवकाश यात्रा सुविधा‡
विनियम, 1975.

मेजर पोर्ट ट्रस्टस् अधिनियम, 1963 ‡1963 का 38‡ की धारा 28 के खंड ‡बी‡ के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुपालन में तथा इस विषयपर वर्तमान विनियमों का अधिक्रमण करते हुए मुंबई पोर्ट का विश्वस्त मंडल कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा ‡1‡ की आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार का अनुमोदन लेकर निम्नलिखित विनियम बनाता है. यह विनियम उक्त धारा 124 की उपधारा ‡2‡ की आवश्यकतानुसार राजपत्र के पिछले दो लगातार अंकों मे प्रकाशित हो चुके हैं. विनियम है :

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :‡1‡ ये विनियम "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ‡अवकाश यात्रा सुविधा‡ विनियम, 1975" कहलाए जाएंगे.।

‡2‡ इन विनियमों की सरकारी मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से वे विनियम लागू होंगे.

2. परिभाषा – इन विनियमों में अन्यथा प्रसंगवत आवश्यक न हो तबतक,

‡1‡ "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा "विभाग प्रमुख" के अर्थ वे ही रहेंगे, जो उन्हें मेजर पोर्ट ट्रस्टस् अधिनियम, 1963 ‡1963 का 38‡ में क्रमशः प्रदान किए गए हैं.

‡2‡ "लेखा अधिकारी" से तात्पर्य है – मंडल का मुख्य लेखाकार और इन विनियमों के अंतर्गत कर्मचारियों के दावों का नियमन करने के लिए मुख्य लेखाकार द्वारा नामित मंडल के लेखा विभाग का कोई अन्य अधिकारी.

ये विनियम दिनांक 9 सितम्बर 1975 के विश्वस्त संकल्प संख्या 507 के अंतर्गत बनाए गए हैं. सरकार की मंजूरी नौवहन और परिवहन मंत्रालय के दिनांक 6.2.1986 के पत्र क्र. एफ. पीईबी-70/75 द्वारा दी गई.

1. दिनांक 19 फरवरी 1976 का महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र भाग IV सी में प्रकाशित ‡19 फरवरी 1976 से प्रभावी‡.

‡3‡ "सुविधा" ...

(3) "सुविधा" से तात्पर्य इन विनियमों के अंतर्गत देय अवकाश यात्रा सुविधा.

(4) "कर्मचारी" से तात्पर्य है मंडल का कर्मचारी.

(5) (i) प्रथम श्रेणी कर्मचारी अर्थात् वह कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 875 रूपये या उससे अधिक है.

(ii) द्वितीय श्रेणी कर्मचारी अर्थात वह कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 261 रूपये या उससे ज्यादा, परंतु 875 रूपये से कम है.

(iii) तृतीय श्रेणी कर्मचारी अर्थात वह कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 161 रूपये या उससे अधिक परंतु 261 रूपये से कम है.

(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात वह कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 161 रूपयों से कम है.

टिप्पणी - कर्मचारियों का पदक्रम (ग्रेडेशन) पत्तन और गोदी कामगारों का केंद्रीय वेतन मंडल, प्रमुख बंदरगाह (प्रथम और द्वितीय श्रेणी अ-समुद्री सेवाएँ) वेतन समिति और मुंबई बंदरगाह (समुद्री सेवाएँ) जाँच समिति, 1957 - इनकी सिफारिशों पर लिए गए सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में स्वीकृत वेतनमानों के वेतन के अनुसार किया गया है.

3. पूर्वोक्त की सीमा - (1) इन विनियमों में अन्यथा किए प्रावधानों को छोड़कर बाकी स्थितियों में यह सुविधा मंडल के सारे श्रेणियों के कर्मचारियों को मिल सकती है, इनमें निम्न भी शामिल है -

(ए) "बी" श्रेणी के किनारा मजदूर, और

(बी) करारांतर्गत रखे गए वे कामगार जिनके करार की अवधि एक साल से अधिक हो, तथा वे कर्मचारी जो एक साल की अविरत सेवा पूर्ण करने पर पुन: नियुक्त किए गए हो.

(2) उक्त सुविधा निम्न कर्मचारियों को लागू नहीं है -

(i) रेल्वे विभाग के तथा यांत्रिकी अभियंता के लोको व वैगन स्थापना विभाग के वे कर्मचारी जिन्हें उनकी नौकरी की शर्तों के अनुसार फ्री पास और/अन्यथा प्रिविलेज टिकट आर्डर्स दिए जाते हैं,

(ii) रेल्वे ....

(ii) रेल्वे विभाग तथा सीविल इंजिनियरिंग विभाग की रेल्वे इंजिनियरिंग शाखा के वे कर्मचारी जिन्हें पहले दिए जाने वाले फ्री पास और/अन्यथा प्रिविलेज टिकट आर्डर्स के बदले अब विशिष्ट यात्रा भत्ता माहवार दिया जाता है,

(iii) जो व्यक्ति मंडल की पूर्णकालीन नौकरी में नहीं है, और

(iv) जिन व्यक्तियों का वेतन आकस्मिक खर्च में से अदा किया जाता है.

(3) कर्मचारी अथवा उसका परिवार - जैसे मामला हो - जिस तिथि पर अपनी यात्रा आरंभ करता है, उस तिथि को यदि कर्मचारी की अविरत सेवा का एक वर्ष पूरा नहीं होता, तो उस कर्मचारी को यह सुविधा देय नहीं होगी.

यात्रा की शुरूवात की तिथि पर अविरत सेवा का एक वर्ष पूर्ण होने की शर्त स्थायी और परिवीक्षाधीन कर्मचारियों पर और अस्थायी और स्थानापन्न कर्मचारियों पर बराबर लागू होगी.

4. हकदारी की बारंबारता-(1) उक्त यात्रा सुविधा कर्मचारी को स्थायी निवास स्थान की यात्रा के लिए दो वित्त वर्ष में एक बार तथा भारत में किसी स्थल के लिए चार वित्त वर्ष में एक बार दी जाएगी. इसके अंतर्गत कर्मचारी और इस विनियम में परिभाषित परिवार शामिल है.

स्पष्टीकरण : "दो वित्त वर्ष में एक बार" से तात्पर्य है - वित्त वर्ष 1975-76 से आरंभ करते हुए दो वित्त वर्षों के बने एक खंड (ब्लॉक) में एक बार. इस प्रकार यह सुविधा पहीली बार देय होगी दो लगातार वित्त वर्षों 1975-76 से 1976-77 तक के एक खंड में. उसके बाद के अवसरों पर यह सुविधा वित्त वर्षों में 1977-78 से 1978-79 तक, 1979-80 से 1980-81 तक - इस प्रकार के खंडों में मिलती रहेगी. यदि कोई कर्मचारी इस विनियम के लागू होने से पहले प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत वित्त वर्ष 1974-75 से 1975-76 के खंड में सुविधा प्राप्त कर चुका है, तो इन विनियमों के अंतर्गत यह माना जाएगा कि वह सुविधा 1975-76 से 1976-77 के खंड के लिए ली गई है.

चार ....

"चार वित्त वर्ष में एक बार" अर्थात वित्त वर्ष 1975-76 से प्रारंभ करते हुए चार वर्षों के बने एक खंड में एक बार. इस प्रकार उक्त सुविधा प्रथम अवसर पर देय होगी. चार लगातार वित्त वर्षों - 1975-76 से 1978-79 तक के एक खंड में. इसके बाद के अवसरों पर यह सुविधा आने वाले वित्त वर्षों - 1979-80 से 1982-83 तक 1983-84 से 1986-87 और आगे इस प्रकार मिलती रहेगी.

§2§ यदि किसी कर्मचारी का परिवार उसकी नौकरी की जगह से दूर रहता हो, तो वह दो वित्त वर्षों के एक खंड में एक बार पूरे परिवार के लिए इस सुविधा का लाभ न उठाकर केवल अपने अकेले के लिए हर खंड के प्रत्येक वर्ष में एक बार यह सुविधा प्राप्त करके अपने मूल निवास स्थान की यात्रा कर सकता है.

§3§ जो कर्मचारी या उनके परिवार दो साल या चार साल के खंड की यात्रा सुविधा न ले सके हो, उन्हें अगले दो-वर्षीय खंड के प्रथम वर्ष के अंत तक अथवा अगले चतुर्थ वर्षीय खंड के प्रथम वर्ष के अंत के पहले उक्त सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है.

<u>स्पष्टीकरण</u> : यदि कोई कर्मचारी या उसका परिवार दो वर्ष के खंड 1975-76 से 1976-77 या चार वर्ष के खंड 1975-76 से 1978-79 के लिए लागू सुविधा नहीं ले सका हो, तो वो यह सुविधा क्रमशः वित्तीय खंड 1977-78 और 1979-80 में ले सकता है, तथापि दो वर्षीय खंड 1975-76 से 1976-77 की सुविधा 31 मार्च 1978 से पहले या चार वर्ष के खंड 1975-76 से 1978-79 की सुविधा 31 मार्च 1980 से पहले ले लेनी चाहिए. यदि वे अपनी निर्धारित तिथि से पूर्व यह सुविधा नहीं ले लेते हैं, तो यह माना जाएगा कि वे संबंधित खंड के लिए हकदार नहीं रहे. इस सुविधा का लाभ कर्मचारी और उनके परिवार के लिए अलग-अलग समय भी दिया जा सकता है. साधारण निर्धारित दो वर्षीय खंड 1975-76 से 1976-77, 1977-78 से 1978-79 वगैरह, या चार वर्षीय खंड वर्ष - 1975-76 से 1978-79, 1979-80 से 1982-83 वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

§4§ यदि वापसी यात्रा दूसरे अनुवर्ति वित्तीय वर्ष में की जाती है, तो यात्रा सुविधा उस वित्त वर्ष में गिनी जाएगी जिस वित्त वर्ष में यात्रा प्रारंभ की गई थी.

5. <u>हकदारी</u> - ....

5. <u>हकदारी</u> - §1§ प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जिस कर्मचारी का मूल निवास स्थान मुंबई से 400 कि.मी. तथा जिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का निवास स्थान मुंबई से 160 कि.मी. तक की दूरी पर है, वह दो वर्ष में एकबार की "मूल निवास स्थान" यात्रा सुविधा के हकदार नहीं होंगे. लेकिन जिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का मूल निवास स्थान मुंबई से 400 कि.मी. तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मूल निवास स्थान 160 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, उन्हें प्रारंभिक 400 कि.मी. या 160 कि.मी. - जैसा मामला हो - तक का आने-जाने का यात्रा खर्च कर्मचारी को खुद करना होगा. बाकी के अंतर के §प्रारंभिक 400 कि.मी. या 160 कि.मी. जैसा मामला हो, उससे उपर के कि.मी. §पूरे प्रत्यक्ष किराए का भुगतान मंडल करेगा. प्रत्येक मामले में यात्रा मूल निवास स्थान और वहां से वापसी की होगी, आने-जाने दोनों यात्राओं के लिए दावा किया हुआ होना चाहिए. मूल निवास स्थान की यात्रा का प्रारंभ और अंत मुंबई से ही होना अपने खुद के लिए या तो परिवार के लिए जरूरी नहीं है. परंतु यात्रा सुविधा की देय सहायता राशि उतनी होगी, जितनी यात्रा के प्रत्यक्ष अंतर के लिए लागू है - परंतु ऐसी राशि उतनी राशि तक ही सीमित रहेगी, जितनी मुंबई और कर्मचारी के मूल निवास स्थान के बीच यात्रा की जाने पर लागू होती.

1. §2§ सभी श्रेणी के कर्मचारी चार वर्ष के खंड में एक बार भारत में स्थित किसी भी स्थान की यात्रा के लिए सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे. मंडल उसके पूरे प्रत्यक्ष किराए का भुगतान करेगा. कर्मचारी की यात्रा चाहे उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में हो, उसमें मंडल की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मंडल उसी राशि के भुगतान का जिम्मेदार रहेगा, जो राशि कर्मचारी जिस वर्ग में यात्रा का हकदार है, उस वर्ग की या उससे निम्न वर्ग की - §इनमें से जिस वर्ग से यात्रा की गई है§ प्रत्यक्ष किराए की राशि होगी./

---

1 जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4.2.1981 की अधिसूचना क्र. पीडब्ल्यू/पीईबी-64/78 तथा दिनांक 24.10.1978 की विश्वस्त संकल्प संख्या 237 द्वारा प्रतिस्थापित §सबस्टिट्यूटेड§.
/1.9.1978 से प्रभावी/

§3§ जो ....

(3) जो कर्मचारी उपविनियम (1) के अंतर्गत मूल निवास स्थान की यात्रा सुविधा का हकदार है, वह कर्मचारी उपविनियम (2) के अंतर्गत चार साल के खंड में एक बार किसी स्थान की यात्रा के लिए देय सुविधा का हकदार होगा, परंतु यदि चार वर्षों के एक खंड के लिए भारत के किसी स्थान की यात्रा की सुविधा ली जाती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त सुविधा मूल निवास स्थान की यात्रा सुविधा के बदले में ली गई है और उसी के अनुसार उसे समायोजित किया जाएगा. इस समायोजन में वह सुविधा भी (यदि हो) सम्मिलित है जिसके लिए कर्मचारी भारत के किसी स्थान की यात्रा करते समय हकदार था, और जो विनियम 4 के उपविनियम (3) के अंतर्गत आगे लाई गई थी. इसके अलावा यदि ऐसा कर्मचारी उस वर्ष की "मूल निवास स्थान की यात्रा सुविधा" आगे लाने का हकदार है, केवल तभी वह भारत के किसी स्थान की यात्रा सुविधा अगले चार वर्षीय खंड के प्रथम वर्ष तक आगे लाने का भी हकदार होगा.

स्पष्टीकरण - यदि कोई कर्मचारी इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्रचलित विनियमों के अंतर्गत 1973-74 से 1975-76 के खंड से संबंधित "मूल निवास स्थान यात्रा सुविधा" 1975-76 के लिए आगे ले आया है, तो 1975-76 से 1978-79 के खंड में वह जिन तीन यात्राओं (आगे लाई गई यात्रा सम्मिलित करके) का हकदार होगा, उनमें से केवल एक ही यात्रा "मूल निवास स्थान" के अलावा किसी अन्य स्थान के लिए की जा सकेगी. यात्रा सुविधा आगे लाई जाने के प्रावधान को देखते हुए यह यात्रा या तो 1975-76 से 1978-79 इस अवधि के दौरान की जा सकेगी और अगर इस दौरान नहीं की गई, तो उसे 1979-80 में अर्थात अगले खंड के प्रथम वर्ष तक आगे किया जाएगा - बशर्ते कि 1977-78 से 1978-79 तक की अवधि के लिए लागू "मूल निवास स्थान यात्रा की सुविधा प्राप्त न की गई हो.

(4) /उपविनियम (1) xxx/ के लिए प्रथम 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 160 कि.मी.) की यात्रा, जो कर्मचारी को अपने खर्चे से करनी है, उन 400 कि.मी. का किराया रेलवे सारिणी के मुताबिक (यात्रा 400 कि.मी. या 160 कि.मी. ही होती, तो उसके लिए रेलवे ने जो वास्तविक किराया लिया होता) होगा. यात्रा के कुल अंतर के किराए के अनुपात में नहीं (यानी टेलीस्कोपिक किराए के आधार पर नहीं), कोई भी कर्मचारी अपने खर्च से प्रथम 400 कि.मी.

की यात्रा ....

की यात्रा किसी भी वर्ग में कर सकता है. 400 कि.मी. के उपर भी यदि कर्मचारी किसी भी वर्ग (उच्च या निम्न) में यात्रा करता है, तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन मंडल की सहायता वह जिसका हकदार है, उस श्रेणी या निम्न श्रेणी - इसमें से जिस श्रेणी में - कर्मचारी ने वास्तविक यात्रा की हो, उसके किराए तक सिमित रहेगी.

6. परिवार की परिभाषा - डाकतार विभाग के कर्मचारी को स्थानांतरण होने के वक्त यात्रा भत्ता देने के हेतु बनाए गए "मूल नियम और पूरक नियम, डाक-तार विभाग संकलन" के समय-समय पर यथासंशोधित पूरक नियम - 2(6) में दी गई "परिवार" की परिभाषा यहां अपनाई जाएगी. जिस परिवार में पति व पत्नी दोनों नौकरी करते है, उस मामले में परिवार को देय यात्रा सुविधा पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को देय श्रेणी की होगी, दोनों को देय के अनुसार नहीं.

7. कर्मचारी और परिवार के स्वतंत्र युनिट - कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य अपनी सहुलियत के मुताबिक अलग-अलग या साथ-साथ में यात्रा कर सकते हैं. एक सदस्य की यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा दूसरे सदस्य की यात्रा पर निर्भर नहीं होगा. कर्मचारी के परिवार के सदस्य अपनी सुविधा से (जिन्होंने वास्तव में उसके साथ यात्रा की है, उन्हें छोडकर) साथ-साथ या अलग-अलग गुटों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं. यदि वे विभिन्न गुटों में अलग समय पर यात्रा करते हैं, तो ऐसे प्रत्येक गुट के लिए खर्चे की प्रतिपूर्ति दी जा सकती है, परंतु ऐसे गुटों में से अंतिम गुट की प्रस्थान यात्रा - प्रथम गुट की प्रस्थान यात्रा आरंभ होने की तिथि से छः महीनों के अंदर आरंभ होनी चाहिए और प्रत्येक गुट की वापसी यात्रा उसकी प्रस्थान यात्रा प्रारंभ होने की तिथि से छः महीनों के अंदर की जानी चाहिए. कुछ मामलों में अध्यक्षजी या उपाध्यक्षजी यह शर्त शिथिल कर सकते हैं.

8. मुल निवास स्थान - "मूल निवास स्थान" अर्थात (i) कर्मचारी का स्थायी निवास स्थान या गाँव, अर्थात उसकी सेवा-पंजी या संबंधित कर्मचारी के अन्य रेकार्ड में दिया गया स्थान या (ii) उचित कारण देकर (जैसे जहां उसकी स्थायी सम्पत्ति हो या उसके नजदीकी रिश्तेदार - जैसे माता-पिता, भाई का स्थायी निवास हो) उसके द्वारा घोषित अन्य कोई ऐसा स्थान जहां साधारणतः उसका वास्तव्य रहता - परंतु मंडल की नौकरी के कारण ही वहां नहीं रह पाता. कर्मचारी द्वारा

घोषित ....

घोषित निवास स्थान की स्वीकृति के लिए निम्न मापदंड उपयोग में लाए जाय -

(i) क्या पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा घोषित स्थान पर उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है? यदि है, तो नौकरी में लगने के बाद भी वह बार-बार/नियमित रूप से वहां जाता रहा है?

(ii) क्या घोषित स्थान पर कर्मचारी का खुद का कोई मकान है, या वह ऐसी संपत्ति वाले संयुक्त परिवार का सदस्य है?

(iii) क्या उसके कोई नजदीकी रिश्तेदारों का उस गाँव/स्थान में वास्तव्य है ?

(iv) क्या मंडल की नौकरी में लगने से पहले कर्मचारी कुछ वर्ष वहां ‡मूल निवास स्थान‡ रहता था?

उपरोक्त मापदंडों में से एक के बाद दूसरा मापदंड तभी लगाना चाहिये जब उसके पहले वाला मापदंड पूरा नहीं हो पाता. यदि किसी कर्मचारी का मकान या जमीन संपत्ति एक से ज्यादा जगह पर हो, तो कर्मचारी उचित कारण देते हुए कोई भी एक स्थान चुन सकता है, बशर्ते कि उसके द्वारा घोषित स्थान को "मूल निवास स्थान" के रूप में स्वीकार किया जाय, अथवा नहीं, इस बात पर उसके अपने विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम निर्णय होगा. जब घोषित मूल निवास स्थान की स्वीकृति का मापदंड "नजदीकी रिश्तेदार का वास्तव्य" बताया हो, तो नजदीकी रिश्तेदार का ऐसा वास्तव्य अधिकतर "स्थायी" स्वरूप का होना चाहिए.

9. मूल निवास स्थान की घोषणा - ‡1‡ हर कर्मचारी अपने "मूल निवास स्थान" की घोषणा करेगा. इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्रचलित होने वाले विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी यदि मूल निवास स्थान की घोषणा कर चुका है, तो वह मूल निवास स्थान की घोषणा इन विनियमों के अंतर्गत ही मानी जाएगी. मंडल की सेवा में आने वाले हर नए व्यक्ति को उसके आगमन की तिथि से छः महिनों के अंदर अपने मूल निवास स्थान की घोषणा करनी होगी.

‡2‡ विभाग प्रमुख के अलावा अन्य कर्मचारी के द्वारा मूल निवास स्थान के बारे में की गई घोषणा हर मामले में उसके विभाग प्रमुख द्वारा स्वीकार होनी चाहिए. विभाग प्रमुख आवश्यक होने पर उचित सबूत मंगवाकर संबंधित घोषणा की सत्यता परख सकते हैं. जिस तिथि को कर्मचारी द्वारा मूल निवास स्थान की घोषणा की जाती है, वही तिथि घोषणा की लागू

तिथि .....

तिथि समझी जाएगी न कि विभाग प्रमुख की स्वीकृति तिथि या स्वीकृति का संदेश प्राप्त होने की तिथि. विभाग प्रमुख द्वारा की गई "मूल निवास स्थान" की घोषणा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए. इन विनियमों के प्रारंभ से पहले प्रचलित विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा की गई तथा विभाग प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा - जैसा मामला हो - स्वीकृत हुई घोषणा ही स्वीकृत मानी जाएगी.

(3) एक बार की गई "मूल निवास स्थान" की घोषणा ही साधारण रूप से अंतिम घोषणा मानी जाएगी, परंतु अपवाद की स्थिति में विभाग प्रमुख (और विभाग प्रमुख के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) उक्त घोषणा में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं - बशर्ते कि ऐसा परिवर्तन कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान सिर्फ एक ही बार किया जाएगा. प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर मंडल की नौकरी में आए कर्मचारियों के मामले में घोषणा में परिवर्तन की अनुमति केवल लेंडिंग अथॉरिटी के अनुमोदन के बाद ही मंजूर की जाएगी.

(4) निर्धारित समय के बाद की गई मूल निवास स्थान की घोषणा विभाग प्रमुख द्वारा (और विभाग प्रमुख के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा) स्वीकार की जा सकती है. तथापि ऐसी स्वीकृति मूल निवास स्थान की घोषणा में परिवर्तन के लिए दिए जाने वाले एक मौके के बदले में दी जाएगी और वही घोषणा कर्मचारी की अंतिम घोषणा मानी जाएगी और ऐसे मामलों में मूल निवास स्थान की घोषणा में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(5) विभाग प्रमुख अपनी सुविधा के लिए अपने विभाग के कर्मचारियों के संबंधित मूल निवास स्थानों का रजिस्टर रख सकता है.

10. <u>रेल्वे द्वारा जोड़े गए स्थानों की यात्रा</u> - (1) जब कर्मचारी रेल्वे द्वारा यात्रा करता है, तब उसे निम्न प्रकार श्रेणियों का किराया दिया जाएगा :

प्रथम या द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी	:	प्रथम वर्ग
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	:	द्वितीय वर्ग
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	:	द्वितीय वर्ग

(2) कर्मचारी और उनके परिवार को रेल्वे के उसी वर्ग का किराया देय होगा, जिसके लिए वह यात्रा के प्रत्यक्ष समर्थ हकदार है. हर वर्ग के कर्मचारी, या उसके परिवार, या दोनों को उनके देय वर्ग से उपरी दर्जे या निम्न दर्जे में यात्रा करने की अनुमति है, परंतु उच्च वर्ग से यात्रा के मामले

में मंडल ....

में मंडल की जिम्मेदारी प्रथम 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मामले में 160 कि.मी.) के उपर के अंतर के लिए कर्मचारी को लागू वर्ग के किराए तक ही सिमित है और निम्न वर्ग से यात्रा करने वाले कर्मचारी या उसके परिवार के मामले में वास्तव में जिस वर्ग से यात्रा की, उसका किराया देय होगा.

(3) [1](i) कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य "छुट्टी के दौरान यात्रा सुविधा" के साथ-साथ रेल्वे द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी रियायती वापसी यात्रा टिकट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं. (जैसे - सिजनल कन्सेशन, स्टुडन्ट कन्सेशन आदि) रियायती टिकट का उपयोग करते समय देय श्रेणी से उच्च या निम्न श्रेणी के वर्ग में यात्रा की अनुमति दी जाएगी. ऐसे मामलों में दोनों तरफ से प्रारंभिक 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 160 कि.मी.) के किराए का हिसाब रेल्वे द्वारा लगाए गए रियायती प्रभारों के आधारपर आनुपातिक तौर पर किया जाय और वह राशि लागू रियायती किराए के आधार पर निकाले गए - मुंबई से मूल निवास स्थान [2][xx x x] तक के लघुतम मार्ग के किराए - से घटाई जाय. इस कटौती के बाद जो राशि बचेगी, वह राशि कर्मचारी को प्रतिपूर्ति करने योग्य राशि होगी. [3][भारत दर्शन के मामले में कर्मचारी की प्रतिपूर्ति का आधार होगा रेल्वे द्वारा लगाया गया रियायती प्रभार. ऐसे मामले में पहले 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए पहले 160 कि.मी.) के किराए की कटौती नहीं की जाएगी].

[4][(ii) जब कर्मचारी और/अथवा उसका परिवार छुट्टी के दौरान यात्रा सुविधा के साथ-साथ रेल्वे द्वारा दिए जानेवाले रियायती "राउंड टूर टिकट" का भी लाभ प्राप्त करता है, तो कर्मचारी वह जिस वर्ग का हकदार है, उस वर्ग या निम्न वर्ग - इन में से जिस वर्ग में प्रत्यक्ष यात्रा करता है, उस वर्ग के लिये मुंबई से मूल निवास स्थान तक के लघुतम मार्ग की किराया राशि में से पहले 400 कि.मी. के लिए (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में पहले 160 कि.मी.) लागू किराया राशि घटाकर जो राशि बचेगी, उतनी राशि की उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी. चार वर्ष के खंड में एकबार

---

1 जलभूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4.2.1981 की अधिसूचना क्र.पीडब्ल्यू/पीईबी-64/78 तथा दिनांक 24.10.1978 की विश्वस्त संकल्प संख्या 237 द्वारा - 1. पुनर्क्रमांकित, 2. रद्द.

जलभूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4.2.1981 की अधिसूचना क्र.पीडब्ल्यू/पीईबी-64/78 तथा दिनांक 24.101978 की विश्वस्त संकल्प संख्या 237 द्वारा - 3. सम्मिलित. 4. सम्मिलित.

भारत ....

भारत दर्शन की यात्रा अगर "रियायती सर्कुलर टूर टिकट" पर की जाती है, तो कर्मचारी देय वर्ग निम्न वर्ग - इनमें से प्रत्यक्षत: जिस वर्ग में यात्रा करेगा, उस वर्ग की - मुंबई से यात्रा स्थान तक लघुतम मार्ग की - किराया राशि की उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी. ऐसे मामलों में प्रारंभिक 400/160 कि.मी. के किराए की कटौती नहीं की जाएगी.

(14) यदि कोई कर्मचारी साधारणत: प्रथम वर्ग में यात्रा का हकदार हो, तो सुविधा का लाभ लेते समय डिलक्स, वातानुकूलित गाडियों के दूसरे वर्ग में यात्रा कर सकता है. ऐसे मामले में द्वितीय श्रेणी के किराए के उपर के अधिकर (सरचार्ज) के रूप में जो किराया राशि लागू होती है, उस किराए का विभाजन मंडल और कर्मचारी के बीच उसी प्रकार किया जाएगा, जिस प्रकार मूल द्वितीय श्रेणी किराए का (विभाजन) किया जाता है.

(15) जो कर्मचारी (या उसके परिवार के सदस्य) साधारणत: प्रथम वर्ग में यात्रा के अधिकारी हैं, वे दूसरे वर्ग में यात्रा करके आरक्षण सुविधा और शायिका सुविधा का लाभ ले सकते हैं. ऐसे मामलों में "सीट" का आरक्षण (दिन की यात्रा के लिए) अथवा "शायिका" व्यवस्था (रात्रि की यात्रा के लिए) पर होने वाला अतिरिक्त खर्चा मंडल द्वारा दिया जाएगा. जो कर्मचारी (या उसके परिवार के सदस्य) साधारणत: दूसरे वर्ग में यात्रा के अधिकारी हैं वे भी सीट आरक्षण (दिन की यात्रा के लिए) तथा शायिका सुविधा (रात्रि की यात्रा के लिए) के खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे.

(16) तृतीय श्रेणी व चुतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यात्रा सुविधा का लाभ लेते समय मेल या एक्सप्रेस गाडी में यात्रा करके उसके मुताबिक प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं. ऐसे मामलों में आवेदक यात्रा वास्तव में मेल या एक्सप्रेस गाडी में की गई थी, इसका प्रमाण पत्र यात्रा सुविधा भत्ते के दावे के साथ प्रस्तुत करेगा.

(17) यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य प्रारंभिक 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 160 कि.मी.) के बाद की यात्रा लंबे रास्ते से (जो सबसे सस्ता नहीं है) दो अलग वर्गों में करता है, जैसे कि - अंशत: प्रथम श्रेणी में - जिसके लिए वह अधिकारी है, और अंशत: दूसरी श्रेणी में - तो ऐसे मामले में सबसे नजदिकी या सबसे सस्ते मार्ग के अनुरूप अंतर के लिए हकदारी श्रेणी के दर से किराया लागू होगा, और

उक्त ....

उक्त लंबे मार्ग के बाकी मीलों के लिए निचली श्रेणी का किराया दिया जाएगा.

(8) यदि कोई कर्मचारी या उसका परिवार या दोनों रेल से जोडे गए दो स्थानों के बीच की यात्रा हवाई जहाज से या स्टीमर से करता है, तो कर्मचारी या उसके परिवार द्वारा प्राधिकृत वर्ग में रेल यात्रा करने पर लागू किराया राशि और वास्तविक व्यय राशि इन दोनों में जो कम है, उतनी राशि की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा की जाएगी. यदि यात्रा प्राइवेट कार में (चाहे वह उसकी अपनी कार हो, अथवा अन्य किसी की) की जाती है, और उसका खर्चा कर्मचारी करता है, तो मंडल की तरफ से उतनी ही सहायता मिलेगी जितनी कर्मचारी द्वारा प्राधिकृत वर्ग में रेल यात्रा करने पर देय होती. ऐसे मामलों में कार यात्रा पर वास्तव में जो खर्च किया है उसकी कोई छानबीन नहीं होगी. कर्मचारी/उसके परिवार/ या दोनों ने प्राइवेट कार द्वारा यात्रा की है, यह बताने वाला कर्मचारी का प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि विभागाध्यक्ष का अनुमोदन मिले.

11. रेल द्वारा जोडे न गये स्थानों की यात्रा - (1) जो स्थान रेल द्वारा जोडे नहीं हैं, उन स्थानों की यात्रा के लिए कर्मचारी को मंडल की सहायता अवकाश यात्रा सुविधा देय होने वाले यात्रा खंड के लिए निम्न प्रकार लागू होगी -

(i) यदि यात्रा मान्यता प्राप्त परिवहन साधनों से की जाती है, तो ऐसे वाहन के लिए उचित वर्ग की जो प्रत्यक्ष किराया राशि होगी उतनी सहायता मंडल द्वारा दी जाएगी. जहां एक से ज्यादा वर्ग है वहां उचित वर्ग का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :

(ए) जहां सिर्फ दो प्रकार के वर्ग हैं वहां प्रतिमाह 500 रूपये या उससे ज्यादा वेतन पानेवाले कर्मचारी उच्च वर्ग के तथा प्रतिमाह 500 रूपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी निम्न वर्ग के हकदार होंगे,

(बी) जहां दो से ज्यादा वर्ग हैं, वहां प्रतिमाह 500 रूपये या उससे ज्यादा वेतन पानेवाला कर्मचारी उच्चतम वर्ग के लिए प्रतिमाह 500 रूपये से कम परंतु 260 रूपये से ज्यादा वेतन पानेवाला कर्मचारी दूसरे वर्ग

के लिए ....

के लिए और प्रतिमाह 260 रूपये से
कम वेतन पाने वाला कर्मचारी निम्नतम
वर्ग के लिए हकदार होगा.

(ii) जिस स्थान के लिए मान्यता प्राप्त वाहन की व्यवस्था नहीं है, उस स्थान की यात्रा के लिए मंडल की सहायता का आधार होगा - अनुरूप श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारियों को लागू "मूलभूत नियम और पूरक नियमों के डाक-तार संकलन" के पूरक नियम 46 के नीचे दिए भारत सरकार के आदेश क्र. 1 में यथा निर्धारित उचित, घटित दरों से कुल रोड माइलेज.

दोनों मामलों में मंडल की सहायता राशि की गणना उक्त प्रत्यक्ष किराये अथवा माइलेज भत्ते - जैसा मामला हो - के आधार पर की जाएगी. संबंधित राशि - स्वयं कर्मचारी, तथा जिसका पूरा किराया लगता है, ऐसे हकदार परिवार सदस्य के लिए "सिंगल रेट" से तथा जिनके लिए आधा किराया देय है, ऐसे 3 से 12 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए "हाफ रेट" से लागू होगी.

(2) जो स्थान रेल्वे द्वारा जोडें हुए नहीं है वहां कर्मचारी हवाई जहाज या स्टीमर से यात्रा कर सकता है - जब यात्रा के दूसरे साधन नहीं है या वे ज्यादा खर्चेवाले हो - ऐसे मामलों में मंडल से देय खर्चे का अनुपात वही होगा जो रेल यात्रा के लिए मिलता है.

12. <u>आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति देय नहीं</u> - अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत की गई यात्राओं में कर्मचारी को आकस्मिक खर्च नहीं होगा.

13. <u>लघुतम मार्ग पर आधारित सुविधा</u> - कर्मचारी द्वारा मुंबई से यात्रा स्थान अथवा मुंबई से मूल निवास स्थान के बीच की गई यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति का मंडल का दायित्व - "थ्रू टिकट" के आधारपर गणना किए गए लघुतम मार्ग के किराये तक सीमित होगा. कर्मचारी अथवा उसके परिवार सदस्य यात्रा स्थान या मूल निवास स्थान से/तक किसी भी मार्ग से यात्रा कर सकते हैं. बीच में कहीं भी रूक सकते हैं, तथापि मंडल की सहायता उनके उक्त प्रकार किराये तक ही सीमित होगी.

<u>स्पष्टीकरण</u> :"लघुतम अंतर" का अर्थ यहां वही होगा जो "कार्यालयीन काम से यात्रा" के संबंध में स्वीकार्य है.

14. मूल ....

14. मूल निवास स्थान के लिए वेटेड माइलेज यात्रा - अवकाश के दौरान की गई संपूर्ण यात्रा या आंशिक यात्रा के लिए कर्मचारी को गृहीत (अस्युम्ड) या वेटेड माइलेज पर आधारित (जैसे - कालका सिमला विभाग) या स्फीत (इनफ्लेटेड) दर से (जैसे - सिलिगुडी - दार्जिलिंग विभाग) किराया देना पडता हो, और यदि रेल्वे द्वारा तय किए गए पूरे अंतर का किराया (मामले के अनुसार गृहीत या वेटेड माईलेज पर आधारित अथवा स्फीत दर से अदा किया गया किराया सम्मिलित करके) सामान्य दरों से देय 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के मामले में 160 कि.मी.) के अंतर के किराये से अधिक होता हो, तो संबंधित कर्मचारी मुंबई से उसके मूल निवास स्थान के बीच का प्रत्यक्ष अंतर चाहे कितना भी हो - अवकाश के दौरान यात्रा सुविधा का हकदार होगा. इस प्रकार के मामले में मंडल द्वारा कर्मचारी को देय प्रतिपूर्ति की रकम होगी - (i) मुंबई से कर्मचारी के मूल निवास स्थान तक का वास्तविक रेल भाडा (यात्री कर सम्मिलित करके) और (ii) साधारण दर से लागू होनेवाला मुंबई से पहले 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए 160 कि.मी.) तक का किराया - इन दोनों किरायों के फर्क की राशि. यह व्यवस्था प्रस्थान-वापसी दोनों यात्राओं के संबंध में लागू है.

15. एक दिशा यात्रा की सुविधा - कर्मचारी के परिवार सदस्यों को देय रियायत की राशि प्रस्थान यात्रा के प्रत्यक्ष समय और वापसी यात्रा के प्रत्यक्ष समय स्वतंत्रतया लागू तथ्यों के अनुसार दी जाएगी.

उदाहरण -

1. सिर्फ जाने की यात्रा (प्रस्थान यात्रा) के खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार -

   (i) कर्मचारी पर निर्भर पुत्र या पुत्री-यदि उसे मूल निवास स्थान जाने के बाद नौकरी मिलती है/उसकी शादी होती है/या वे आगे अध्ययन के लिए वहीं वास्तव्य करते हैं,

   (ii) कर्मचारी के परिवार सदस्य यदि मूल निवास स्थान की यात्रा करके वहां पहुँचने के बाद उनका वहां से वापसी यात्रा करने का इरादा न हो, और कर्मचारी लिखित रूप से वचन देता हो कि उसके परिवार सदस्य बाद में कभी वापसी यात्रा करते हैं, तो उस समय कर्मचारी द्वारा वापसी यात्रा पर देय छूट की मांग नहीं की जाएगी.

---

1. दिनांक 24.10.1978 की विश्वस्त संकल्प संख्या 237 और नौवहन व परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4.2.1981 की अधिसूचना क्र.पीडब्ल्यू/पीईबी-64/78 द्वारा प्रतिस्थापित (सबस्टिट्यूटेड). (दिनांक 1.9.1978 से लागू)

2. सिर्फ ....

2. सिर्फ वापसी यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार -

(i) अपने मूल निवास स्थान से मुंबई आने वाली नववधू, या पत्नी जो मूल निवास स्थान में रहती थी और जिसने पहले प्रस्थान यात्रा के लिए देय यात्रा सुविधा प्राप्त नहीं की थी,

(ii) कर्मचारी पर निर्भर पुत्र या पुत्री जो अध्ययन के लिए या अपने दादा-दादी के साथ वास्तव्य के लिए मूल निवास स्थान पर रहे हो और अब अकेले/अपने मॉ-पिता के साथ मुंबई लौट रहे हो,

(iii) कर्मचारी का बच्चा जो पहले तीन साल से या 12 साल से कम उम्र का हो और जिसने तीसरा या बारहवां वर्ष केवल वापसी यात्रा के समय ही पूरा किया हो,

(iv) गोद लिया बच्चा/मूल निवास स्थान में वास्तव्य के दौरान कर्मचारी द्वारा कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा.

16. ‡यात्रा‡ सुविधा केवल भारत के स्थानों तक सीमित - ‡1‡ यात्रा सुविधा भारत के स्थानों तक ही सीमित है और ऐसी सुविधा रेल से जोडे गए स्थानों के बीच, और जहां पूर्णत: रेल द्वारा जोडे न गए हो, वहां अंशत: रेल और अंशत: सड़क या स्टीमर सेवाओं द्वारा जोडे गए स्थानों के बीच की यात्रा के लिए लागू है.

‡2‡ यदि कोई कर्मचारी मूल निवास स्थान भारत के बाहर होने का दावा करता है और विभागाध्यक्ष उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, तो कुछ हदतक उसे मूल निवास स्थान की यात्रा सुविधा मिल सकती है. इस प्रकार के मामलों में मंडल की सहायता निम्न यात्राओं के खर्चे तक सीमित रहेगी.

(i) भारत में उसके निवास स्थान के नजदीकी रेल्वे स्टेशन तक की ‡लघुतम मार्ग से‡ प्रस्थान और वापसी यात्रा अथवा

(ii) भारत स्थित निवास स्थान से निकलकर भारत से विदेश प्रस्थान/ भारत में वापसी के नजदीकी पोर्ट अथवा रेल्वे स्टेशन तक आने/ जाने की यात्रा.

स्पष्टीकरण : इस विनियम में "नजदीकी पोर्ट" का अर्थ है - कर्मचारी के मूल निवास स्थान से सबसे नजदीकी भारतीय पोर्ट.

17. छुट्टी ....

17. छुट्टी का प्रकार - ß1ß साधारण छुट्टियों या आकस्मिक छुट्टियों के दौरान - छुट्टी की अवधि चाहे कितनी भी हो - कर्मचारी उक्त सुविधा पाने का अधिकारी है. यदि कोई कर्मचारी साधारण या आकस्मिक छुट्टी पर जाता है और नौकरी पर वापस आए बिना त्यागपत्र दे देता है, तो वह कर्मचारी उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा परंतु उपरोक्त शर्त कर्मचारी के परिवार सदस्यों को लागू नहीं है.

ß2ß निवृत्ति पूर्व की छुट्टी, अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के संबंध में कर्मचारी और उसके परिवार सदस्यों को यात्रा सुविधा केवल मुंबई से प्रस्थान यात्रा के लिए ही देय होगी - बशर्ते कि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के संबंधित खंड में उक्त ßयात्राß सुविधा पहले ही न ले चुका हो. कर्मचारी और उसके परिवार दोनों की यात्रा अवकाश के दौरान ही आरंभ होनी चाहिए.

ß3ß कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य या दोनों की मूल निवास स्थान में वास्तव्य की प्रत्यक्ष अवधि चाहे जो भी हो, उन्हें उपरोक्त सुविधा देय होगी.

18. अनुबन्धित कर्मचारी - अनुबन्धन आधार पर नियुक्त कर्मचारी की अनुबंधन अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो एक वर्ष की अविरत सेवा पूर्ण करने के बाद वह यात्रा सुविधा पाने का अधिकारी होगा. यदि शुरू में अनुबंधन अवधि एक वर्ष की हो और बाद में बढाई गई हो, तो यात्रा सुविधा के लिए अनुबंधन की कुल अवधि देखी जाएगी. अनुबंधित कर्मचारियों के मामले में यात्रा सुविधा निम्न शर्तों पर प्रदान की जाएगी -

(i) ऐसे कर्मचारियों के मामले में क्रमिक दो वर्ष के खंड या क्रमिक चार वर्ष के खंड की गणना जिस तिथि से उन्होंने मंडल की नौकरी शुरू की उस तिथि से की जाएगी,

(ii) संबंधित कर्मचारी द्वारा यात्रा सुविधा ले जाने के समय कोई योग्य प्रशासनिक प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि वह कर्मचारी अपनी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष या चार वर्ष - जैसा मामला हो - तक मंडल की सेवा में रहने की संभावना है. बाद में आने वाले दो वर्षीय या चार वर्षीय अवधि में उपरोक्त यात्रा सुविधा की देयता के लिए भी समान शर्तें लागू होंगी.

19. निवृत्ति के बाद पुन: नियुक्त कर्मचारी - निवृत्ति के बाद फिर से नौकरी पर लगे कर्मचारी एक साल की अविरत सेवा पूर्ण करने के बाद विनियम 18 में बताई गई शर्तों पर यात्रा सुविधा पाने के योग्य होंगे. परंतु निवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी के मामले में यात्रा सुविधा के हेतु - पुन: नियुक्ति सेवा अवधि को पिछली सेवा से जोड़कर गिना जाये और पुन: नियुक्ति अवधि के लिए यात्रा सुविधा प्रदान की जाय ॥बशर्ते कि यदि वह निवृत्त नहीं होता, तो ऐसी सुविधा उसे देय होती॥

20. दावों की प्रस्तुति की रीति - दो वर्ष के खंड में एक बार मूल निवास स्थान के लिए यात्रा सुविधा लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी तथा उसके परिवार को पहले 400 कि.मी. या 160 कि.मी. - जैसा मामला हो - का रेल किराया स्वयं खर्च करना पडेगा. मूल निवास स्थान के बाकी किराये की रोकड़ प्रतिपूर्ति तथा भारत दर्शन के चार वर्षीय खंड में की गयी यात्रा के किराये की रोकड़ प्रतिपूर्ति निम्न दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद की जायेगी -

॥।॥ उसने यह यात्रा वास्तव में की है, और जिस वर्ग के किराये की प्रतिपूर्ति मांगी है, उससे निचले वर्ग में यात्रा नहीं की है - इसका प्रमाणपत्र, और ॥।।॥ दावे के रूप में सही प्रकार भरा गया यात्रा भत्ते के बिल फॉर्म.

21. निर्धारित प्रमाण पत्र - यात्रा सुविधा के लिए एक संबंधित विभाग प्रमुख से और दूसरा कर्मचारी की तरफ से - ऐसे दो प्रमाण पत्र - परिशिष्ट I और II के मुताबिक - लेखा अधिकारी को यात्रा भत्ते के बिल के साथ प्रस्तुत कर दिए जाएंगे.

दिनांक 24.10.1978 की विश्वस्त संकल्प संख्या 237 और नौवहन और परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4.2.1981 की अधिसूचना क्र.पीडब्ल्यू/पीईबी-64/द्वारा प्रतिस्थापित ॥सबस्टिट्यूटेड॥. ॥दिनांक 1.9.1978 से लागू॥.

22. अनिवार्य ....

22. अनिवार्य प्रमाण - जिस यात्रा सुविधा सहायता के लिए इन विनियमों के अंतर्गत दावा किया है, वह यात्रा आरंभ करने से पहले कर्मचारी को अपने विभाग प्रमुख अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी को उस यात्रा की सूचना देनी चाहिए. साथ ही, कर्मचारी को उसने वह यात्रा वास्तव में की है, इस बात का - लेखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. जैसे - रेल टिकटों की क्रम संख्या, नगद रसीदें आदि. यदि विभाग प्रमुख, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष दावे की सच्चाई और की गई यात्रा को प्रामाणिकता से अन्यथा संतुष्ट हो, तो वे रेल टिकटों की क्रमिक संख्या अथवा रेल टिकटों की रसीदें आदि प्रस्तुत करना और इन विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी, उसके परिवार अथवा इन दोनों के द्वारा यात्रा आरंभ करने से पहले विभाग प्रमुखों को पूर्व सूचना देना आदि के संबंध में नियमों में कुछ साधारण शिथिलताओं की ‡रिलॅक्सेशन‡ अनुमति दे सकते है.

23. सहायता का रेकॉर्ड - इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई सारी सहायता का उचित रेकॉर्ड रखा जाय. यह रेकॉर्ड सेवा पत्र में प्रविष्टि अथवा अन्य उचित रेकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा. तथा उनमें की गई यात्रा/यात्राओं की आरंभ की तिथि/तिथियाँ दर्शाई जाएगी. जिस प्राधिकारी पर सेवा पंजी रखने की जिम्मेदारी है वह प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी कर्मचारी छुट्टी पर जाता है और यात्रा सुविधा का लाभ लेता है, तब उसने यात्रा सुविधा लाभ लिया है यह तथ्य रेकॉर्ड में दर्शाया जाएगा.

24. पेशगी - यात्रा-भत्ता लेने के लिए कर्मचारी को कुछ पेशगी निम्न शर्तों पर दी जा सकती है -

‡क‡ हर मामले में पेशगी की राशि निम्न प्रकार सीमित की जाएगी -

आने और जाने दोनों यात्राओं के खर्चे की प्रतिपूर्ति के रूप में मंडल को जिस राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी, उस अनुमानित राशि के 4/5.

‡ख‡ जब कर्मचारी और उसके परिवार सदस्य यात्रा सुविधा का लाभ स्वतंत्र रूप से अर्थात अलग-अलग समय लेते हैं, तो देय पेशगी राशि भी अलग से ली जा सकती है और दावों का समायोजन भी अलग से किया जा सकता है. तथापि जिस मामले में कर्मचारी द्वारा अपने परिवार सदस्यों के संबंध में संयोजित ‡कन्सॉलिडेटेड‡ पेशगी ली जाती है, तो दावों का समायोजन एक ही बिल में किया जाएगा.

‡ग‡ कर्मचारी ....

(ग) कर्मचारी, उसके परिवार सदस्य या दोनों की - आने और जाने - दोनों समय की यात्राओं के लिए पेशगी राशि प्रस्थान यात्रा के समय ली जा सकती है, बशर्ते कि कर्मचारी की अवकाश अवधि अथवा उसके परिवार सदस्यों की अपेक्षित अनुपस्थिति अवधि 90 दिनों से अधिक ना हो. जहां अवकाश अवधि या अपेक्षित अनुपस्थिति की अवधि कथित सीमा से अधिक हो, तब पेशगी राशि केवल प्रस्थान यात्रा के लिए ली जाय. अगर प्रस्थान और वापसी - दोनों यात्राओं के लिये पेशगी ली गयी हो, और बाद में यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी अथवा उसके परिवार की मुंबई में अनुपस्थिति की अवधि कथित सीमा से अधिक होने की संभावना है, तो कर्मचारी को पेशगी की आधी राशि तुरंत मंडल को लौटानी होगी.

(घ) अस्थाई कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए पेशगी तभी मंजूर की जाएगी जब वे किसी स्थाई कर्मचारी की शुअॅरिटी प्रस्तुत करेंगे.

(ङ) यदि प्रस्थान यात्रा पेशगी राशि दी जाने से 30 दिनों के अंदर आरंभ नहीं की जाती है, तो पेशगी की राशि तुरंत लौटानी होगी.

(च) ली गयी पेशगी का समायोजन करते हुए यात्रा भत्ते का दावा वापसी यात्रा पूरी करने के एक महिने के अंदर किया जाना चाहिए.

(छ) छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ते के संबंध में दी गई पेशगी का हिसाब यात्रा पूरी होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाय जिस प्रकार दौरे के लिए ली गई यात्रा-भत्ता पेशगी का दिया जाता है.

(ज) लेखा अधिकारी उचित पंजियों द्वारा पेशगी के समायोजन का निरीक्षण करेंगे.

25. लेखा शीर्ष - यात्रा सुविधा भत्तों पर किया गया व्यय संबंधित लागत केंद्रों (कॉस्ट सेंटर्स) में टाईप 530, "अवकाश के दौरान यात्रा भत्ता" के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा.

26. अर्थनिर्णय ....

26. अर्थनिर्णय - किसी भी कर्मचारी पर इन विनियमों का लागू होना अथवा उनके अर्थनिर्णय के बारे में कोई संदिग्धता/शंक हो, तो उस संदर्भ में अध्यक्षजी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा.

27. रद्द करना और बनाए रखना - इन विनियमों के अनुरूप और इन विनियमों के आरंभ से तुरंत पहले प्रचलित सभी आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं.

बशर्ते कि इस प्रकार रद्द किए गए आदेशों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह माना जाएगा कि वह आदेश/वह कार्यवाही इन नए विनियमों के अनुरूप प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया गया था/की गई थी.

अनुलग्नक I ....

अनुलग्नक I

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
(विनियम 21 देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि -

(i) श्री/श्रीमती/कुमारी (कर्मचारी का नाम) ---------
----------ने प्रस्थान यात्रा
आरंभ करने से पहले एक वर्ष या उससे ज्यादा अविरत सेवा की है.

(ii) श्री/श्रीमती/कुमारी ----------
की सेवा पंजी में विनियम 23 के अनुसार जरूरी प्रविष्टियाँ कर
दी गई हैं.

दिनांक :

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर.

अनुलग्नक II .....

अनुलग्नक II

कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र
[विनियम 2। देखें]

----

1. वर्ष 19----से 19----और 19 ---- से 19---- तक के ---------वर्षीय खंड के लिए मैंने स्वयं अपने या अपने परिवार सदस्यों के संबंध में अब तक अवकाश के दौरान यात्रा सुविधा के लिए अन्य कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है.

2. मेरे द्वारा/मेरी पत्नी तथा -------------बच्चों द्वारा/मेरे -------- बच्चों द्वारा की गई यात्रा के लिए मैंने अवकाश यात्रा सुविधा पहले ही ली है. यह दावा मेरी पत्नी/मेरे द्वारा - बच्चों के साथ की गई यात्रा के लिए है - जिनमें से किसी ने भी पहले उल्लिखित अवसर पर यात्रा नहीं की है.

3. मैंने मेरे द्वारा/-------बच्चों के साथ मेरी पत्नी द्वारा/मेरे ------- बच्चों द्वारा की गई यात्रा के लिए वर्ष 19----से 19---- और 19--- से 19---------तक के -------वर्षीय खंड के लिए देय अवकाश यात्रा सुविधा भत्ता नहीं लिया था. मेरा यह दावा ----- बच्चों के साथ मेरे द्वारा/मेरी पत्नी द्वारा या मेरे ----- बच्चों द्वारा की गई यात्रा के लिए है. इनमें से किसी ने भी उस खंड से संबंधित यात्रा भत्ता नहीं लिया था.

4. मैं 19--- से 19--- और 19--- से 19 --- तक के ------वर्षीय खंड के लिए देय यात्रा भत्ता वर्ष 19---से 19---- में की गई यात्रा के लिए ले चुका हूँ. मेरा यह दावा वर्ष 19--- से 19--- में मेरे द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है. यह दावा मैं उस यात्रा भत्ता सुविधा के लिए कर रहा हूँ जो मेरे सारे परिवार सदस्य मेरे काम की जगह से दूर के गांव में रहने के कारण मुझे अपने जन्मगांव जाने के लिए निर्धारित खंड में प्रतिवर्ष एक बार देय है.

5. मेरे द्वारा/मेरी पत्नी व ------बच्चों द्वारा अथवा मेरे -----बच्चों द्वारा की गई यात्रा मेरे घोषित मूल निवास स्थान अर्थात ------------------ ---------------------------के लिए की गई है.

6. मेरे पति/मेरी पत्नी मंडल की सेवा में नहीं है/मेरे पति/मेरी पत्नी मंडल की सेवा में है और उन्होंने स्वयं अपने लिए अथवा परिवार सदस्यों में से किसी के लिए ---------- वर्ष के खंड में देय यात्रा सुविधा अलग से प्राप्त नहीं की है.

दिनांक :

कर्मचारी के हस्ताक्षर

G. 86F/Rev
Form 'C'

Bombay Port Trust

छुट्टीकी यात्रा के अनुदान के लिये आवेदन पत्र

APPLICATION FOR LEAVE TRAVEL CONCESSION

सी. आय. क्र.
C. I. No.

नाम/Name

कार्यालय/Office

पदनाम/Designation

विभाग/Department

यात्राके समयका वास्तविक वेतन/स्थानापन्न वेतन
Actual Pay/Offg. pay at the time of Journey

वेतनश्रेणी/Grade

नियुक्ति का दिनांक
Date of appointment :

लगातार सेवा की अवधि :
Length of continuous Service :

वेतन पत्र का नाम जिसमें वेतन निकाला जाता है
Name of the paysheet in which pay is drawn :

वैवाहिक स्थिति/Marital Status

निम्न विवरण के अनुसार मुं. पो. ट्र. कर्मचारी (छुट्टी की यात्रा के लिए अनुदान) नियमावली, 1975 के अनुसार ग्राह्य छुट्टीकी यात्रा के लिए मुझे अनुदान देनेकी प्रार्थना करता हूं।

I request that the leave travel concession admissible under the B.P.T. employees (Leave Travel Concession Regulations, 1975, be granted to me as per details furnished below :

1. गृह नगर/गाँव/Home town/village

तालुका/Taluka ______ जिला/District ______

2. यात्रा का स्थान/Place of visit

राज्य ______ District ______ State ______

3. रेल रास्ता या जहाज से सबसे नजदीक का व्यवहार्य मार्ग (सबसे नजदीक के रेल स्थानका नाम कृपया लिखे)
3. Shortest practicable route, by rail, road or sea (Please State the name of the nearest Rly. Station) :

4. बम्बई से गृहनगर/गाँव, यात्रा के स्थान का सबसे नजदीक मार्गसे अंतर
4. Distance by the shortest route from Bombay to home town/village, place visited :

5. मंजूर की गयी तथा ली गयी छुट्टीका विवरण
5. Particulars of leave granted and availed off. :

6. पिछला अनुदान कब लिया था
6. When was the concession last availed off :

7. बाहरी यात्रा शुरु होनेसे पहले क्या पेशगी ली थी और पेशगी की रकम
7. Whether an advance was drawn before the commencement of outward journey and the amount thereof:

8. मैंने और मेरे परिवार के सदस्योंने वास्तविक रूपसे किये हुए प्रवास का विवरण (कृपया आगे का पृष्ठ 4 देखिए)
8. Particulars of journeys actually performed by me and members of my family : (Please see Page 4 post)

("परिवार" का अर्थ है कर्मचारी के पत्नी या पति जो भी हो, जो कर्मचारी के साथ रहते है और औरस और सौतेला संतान जो कर्मचारी के साथ रहता है और उसका पूर्णतः आश्रित है, कर्मचारीके माँ बाप बहने और नाबालिग भाई जो कर्मचारीके साथ रहते है और उसके पूर्णतः आश्रित है।)

("Family" means an employee's Wife or husband as the case may be, residing with the employee and legitimate children and step children residing with and wholly dependent upon the employee, parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent on the employee).

(i) वर्ष 19 ____ से 19 ____ तक और 19 ____ से 19 ____ तक दो/चार वर्षों के खंड के लिए छुट्टीकी यात्राके लिए अनुदान का इसके अलावा अन्य कोई दावा मैंने पेश नही किया है।

(i) I have not submitted any other claim so far for leave travel concession in respect of myself or my family members in respect of the block of Two/Four years 19____to 19____and 19____to 19____

(ii) मैंने/मेरी पत्नीने अपने ____, बच्चों, ____, मां बाप, ____ बहनों ____ नाबालिग भाइयों के साथ की गयी यात्रा के संबंध में छुट्टीकी यात्रा अनुदान के लिए प्रवास भत्ता पहले ही लिया है प्रस्तुत दावा मेरी पत्नीने, / स्वयं मैंने ____ बच्चों, ____ मां बाप, ____ बहनों, ____ नाबालिग भाइयों के साथ जिनमे से किसीने भी पार्टी के साथ पहले अवसर पर यात्रा नही की है, की गयी यात्रा के संबंध मे है।

(ii) I have already drawn travelling allowance for the leave travel concession in respect of a journey performed by me/my wife with________children,________parents ________sisters,________minor brothers. This claim is in respect of journey performed by my wife/myself with________children________parent ________sisters,________minor brothers. none of whom travelled with the party on the earlier occasion

(iii) वर्ष 19____ से 19____ तक और 19____ से 19____ तक दो/चार वर्षोंके खंड मे मैंने/मेरी पत्नीने बच्चों ____ मां-बाप ____ बहनों ____ नाबालिग भाइयों के साथ की गयी यात्राके बारेमे छुट्टीकी यात्रा अनुदान के लिए प्रवास भत्ता पहले नही लिया है प्रस्तुत दावा मेरी पत्नीने/स्वयं मैंने ____ बच्चों ____ मां-बाप ____ बहनों, ____ नाबालिग भाइयोंके साथ जिसमें से किसी ने भी उस खंड के लिए अनुदान नही लिया है, की गयी यात्रा के संबंध मे है

(iii) I have not already drawn travelling allowance for the leave travel concession in respect of a journey performed by me/my wife with________children,________parents,________sisters,________minor brothers in respect of the block of Two/Four years 19________to 19________and 19________to 19________ This claim is in respect of the journey performed by my wife, myself with________children,________parents ________sisters,________minor brother, none of whom availed of the concession relating to that block.

(iv) वर्ष 19____ से 19____ तक और 19____ से 19____ तक दो/चार वर्षों के खंडमें वर्ष 19____ से 19____ तक मेने की हुई यात्रा का प्रवास भत्ता मैं पहले ही ले चुका हूं मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरी कामकी जगह से दूर रहते हैं इसलिए निर्धारित खंडमे वर्ष मे एक बार अपने गृह गांव जाने के लिए देय अनुदान के संबंध में प्रस्तुत दावा है

(iv) I have already drawn travelling allowance in respect of a journey performed by me in the year 19________ to 19________in respect of the block of Two/Four years 19________to 19________and 19________to 19________ This claim is in respect of the journey performed by me in the year 19________to 19________ This is against the concession admissible once every in a prescribed block for visiting home town as the members of the family are living away from my place of work.

(v) मैंने/मेरी पत्नीनें ____ बच्चों ____ बहनों ____ नाबालिग भाइयों के साथ घोषित गृह-गांव अर्थात घोषित स्थान पाने के लिए प्रत्यक्ष रूपसे यह यात्रा की।

(v) The journey has actually been performed by me /my wife with________children________sisters________ minor brothers to the declared home town, viz. to the declared place viz________

(vi) मैंने और मेरे परिवारनें उस श्रेणीसे यात्रा की है जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जिस श्रेणी के किराये का दावा किया है उससें कम नही था

(vi) I and my family members travelled in a class of accomodation not lower than that for which fares have been claimed in the application.

(vii) कि मेरे पती/पत्नी विश्वस्तो की सेवा में नही है।

कि मेरे पती/पत्नी विश्वस्तो की सेवा मे है और उन्होंने संबंधित दो वर्षों के अर्थात ____ के खंड के लिए या संबंधित चार वर्षों के अर्थात ____ के खंड के लिए व्यक्तिशः या परिवार के अन्य सदस्यो के लिए अलग रूपसे यह अनुदान नही लिया है।

(vii) that my husband/wife is not employed in the Board's Service

that my husband/wife is employed in Board's service and the concession has not been availed of by him/her separately for himself/herself or for any other family members for the concerned block of two years viz________or for the concerned block of four years, viz.________

(viii) मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है और जिनके लिए अनुदान का यह दावा पेश किया है वह बच्चों, मां-बाप बहनें और नाबालिग भाई मेरे साथ रहते हैं और पूर्णतः मेरे आश्रीत हैं।

(viii) my wife is residing with me and the children, parents, sisters and minor brothers in respect of whom have claimed the concession are residing with me and wholly dependent on me.

(ix) यह अनुदान लेने के मेरे इरादे की मैंने पूर्व सूचना दी है।

10. The total expenditure incurred by me is Rs. ____________________ in support of which I enclose money receipts as detailed below:

रसीद / Receipt		जारी करनेवाला कार्यालय Office of issue	रकम / Amount		टिप्पणियाँ Remarks
क्र./No.	दिनांक/Date		रु./Rs.	पै./P.	

प्रार्थीका हस्ताक्षर/बाये हाथ के अंगूठे का निशान
Signature /left hand thumb impression of applicant

अनुदान की ग्राह्यताके बारे मे प्रमाणपत्र (संबंधित विभाग प्रमुखसे)
Certificate regarding admissibility of concession
(By Head of Department concerned)

/No. ____________ दिनांक/Date ____________

1. सत्यापित कर आवश्यक कार्यवाही के लिए विनिय सलाहकार और मुख्यलेखा अधिकारी को अग्रेषित कर्मचारीने पिछली बार वर्ष ____ इस मे अनुदान लिया था देखिए दिनांक ____________ का इस कार्यालय का पृ. स. ____________

11. Verified and forwarded to the F.A. & C.A.O. for necessary action. The concession was last availed of by employee in ____________ vide this office endorsement No. ____________ dated ____________

12. प्रमाणित किया जाता है कि

(i) उसके द्वारा घोषित किये अनुसार कर्मचारी का गृह-नगर, गाँव ____________ राज्य मे ____________ जिलेमे है।

12. Certified that:

(i) the employee's home town/village, as declared by him is ____________ in the District of ____________ in the State of ____________

(ii) ____________ राज्यके ____________ जिले के ____________ स्थान जाने के अपने इरादेको कर्मचारीने पूर्व सूचना दी है।

(ii) the employee has given prior intimation of his intention to visit ____________ in the District of ____________ in the State of ____________

(iii) निशुल्क पास या और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स या विशेष प्रवास भत्ते या अन्य किसी अनुदान के लिए कर्मचारी पात्र नहीं है।

(iii) the employee is not eligible for free passes and/or privilege ticket orders or special travelling allowance, or any other travel concession.

(iv) कर्मचारी को प्रस्तुत दावे के संबंध में दिनांक ____________ को पेशगी के रुपमें से ____________ अदा किये है।

(iv) the employee has not been paid/has been paid on ____________ an advance Rs. ____________ against this claim.

(v) बाहरी यात्रा के प्रथम दिन कर्मचार ने एक साल या उसमें अधिक सेवा की है।

(v) the employee has rendered continuous service for one year or more on the date of the commencement of the outward journey.

(vi) बं. पो. ट्र. कर्मचारी (छुट्टीकी यात्रा के लिए अनुदान) नियमावली 1975 के नियम 23 के अनुसार कर्मचारी की सेवा-पत्रमें आवश्यक प्रविष्टियाँ की गयी है।

(vi) the entries as required under Regulation 23 of B.P.T. Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1975 have been made in the employee's service sheet.

दिनांक/Date ____________ विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर / Signature of Head of Depatment

लेखा विभाग के उपयोग के लिए / FOR USE IN ACCOUNTS DEPARTMENT

रु. ________ पै. ________ के लिए वाउचर
Voucher for Rs. ________ P. ________

.र मेरे परिवारके सदस्योने वास्तविक रुपसे की हुओ यात्रा का विवरण/ Particulars of journeys actually performed by me and members of my family

म .me	कर्मचारी से रिश्ता Relationship with employee	आयु Age	यात्रा का विवरण/Particulars of journeys: गमन/ Departure: स्थान Station	गमन/ Departure: दिनांक Date / समय hour	आगमन / Arrival: स्थान Station	आगमन / Arrival: दिनांक Date / समय hour	यात्रा का प्रकार अर्थात रास्तेसे रेलसे जहाजसे (द्रुत या साधारण) Kind of journey i.e. by Road, Rail Boat, (mail or ordinary)	रास्ते या जहाजसे मील लंबाई या प्रत्यक्ष खर्च Miliage by Road or Boat or actual expenses: यात्रा का वाहन Means of conveyance	प्रत्यक्ष भुगताया गयाप्रवास शुल्क Actual fares paid	कि. मि. No. of kilo metres	दर Rate रु. पै. Rs. P.	राशि Amount रु. पै. Rs. P.	रेल/जहाज/हवाई जहाज शुल्क Railway/Steamer/Air Fair: प्रत्यक्ष प्रवास की श्रेणी (टिकट के अनुक्रमांक के साथ Class in which actually travelled (including serial numbers of ticket)	कि. मि. No. of fares	राशि Amount रु प Rs. P.	कुल Total रु Rs P.	टि R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
.त्रा/Outward Journey :																	
र यात्रा Inward Journey :																	